तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० की बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर विचार किया दोनों बहस पक्षकार एवं अधिवक्तागणों का कथन है, कि प्रकरण का रिकार्ड के आधार पर निस्तारण कर दिया जावे। हमने प्रकरण का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादियों के वादपत्र के कथन, वांछित अनुतोष, जवाब दावा, एवं साक्ष्य पर विचार किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है। तनकी नं० 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादियों पर था। वादियों द्वारा स्वयं के शपथपत्र के साथ, शपथपत्र चीकलाल, शपथपत्र रामकिशन, रामचंद्र, के अलावा नकल जमाबंदी ग्राम उडवा सं० 2071-74 खाता नं० 546, खाता नं० 547, प्रस्तुत किये हैं। उक्त दस्तावेजात से प्रमाणित होता है, कि वादिया उक्त खसरा नम्बर वाके माल मौजा उडवा 119, 120, 121, 247/1334 की अभिलिखित खातेदार आसामी थी अतः यह तनकी बहक वादियां तय की जाती है। तनकी नं० 2:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था। तनकी नम्बर 1 के अनुसार वादियां द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये है	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

हस्ब निष्कर्ष तनकी नम्बर 1 वादियां बादहू भूमि की खातेदार आसामी है व बादहू भूमि पर वादियां की हैसियत धारा 14 R.T. Act में वर्णित व धारा 5 (43) में परिभाषित श्रेणी की है।

यदि प्रतिवादी द्वारा वादियां की भूमि पर स्वत्व विहीन अवस्था में बेजा मदाखलत, मजाहमत की जाती है, तो इससे वादियां को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन संभव ही नहीं है। इस प्रकार बेजा मदाखलत से वाद बाहुल्य की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त परिस्थिति का निदान स्थाई आदेश ही है।

अतः यह तनकी बहक वादियां तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रकरण में अन्य वाद अवश्य प्रस्तुत किया हुआ है परन्तु उक्त वाद के परिणामस्वरूप ही यह वाद प्रस्तुत किया हो ऐसा प्रमाणित नहीं है। उक्त वाद अपनी पृथक हैसियत रखता है।

अतः साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

(हस्ताक्षर)
उप... अधिकारी
रा... मण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तनकी नम्बर 4:— तनकी नम्बर 1 से 3 के निष्कर्ष व विवेचन के आधार पर वाद वादियां स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादियां स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है, कि वे ग्राम उण्डवा की भूमि ख० नं० 119, 120, 121, 247/1334 पर वादीयां के कब्जे काश्त में मदाखलत, मजाहमत न स्वयं करे और न जरिये एजेन्ट करावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।

पत्रावली फीस शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि० 12-01-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
(देशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Judl. Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

व इजलास — देशल दान (I.A.S.)

राजीबाई — बनाम — संतोष

2018/00193

दावा बाबत — 188-R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं. — 100 — सन् — 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — मुझ देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी — श्री जगदीशसिंह एड. — मिनजानिब मुद्दई व — श्री मालक अली एड.

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादियां स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई आदेश पाबंद किया जाता है, कि वे ग्राम उण्डवा की भूमि खसरा नं. 119, 120, 121, 245/1334 पर वादियां के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत न स्वयं करें और न जरिये ऐजेन्ट करावें।

बीज — ✓ — मुबालिग — ✓ — बाबत — ✓

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व मरह — ✓ — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — ✓ — को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 12 — माह — 01 — 2021

को जारी की गई।

महर

दस्तखत — [signature]

ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई		रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....	—	—	मीजान	...	—	—
मीजान....							

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. जो. 136-2006-1,00,000 फार्म

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी